

न्यायालय अंचल अधिकारी देवरी।

केस संख्या : 13/2020-21
 केस का प्रकार :- विधिवादा

आदेश की कम संख्या एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
----------------------------	--------------------------------	--

सरजू तुरी, लक्ष्मी तुरी, मुनेश्वर तुरी वगैरह ग्राम-भण्डरालोड थाना देवरी जिला गिरिडीह के द्वारा एक आवेदन पत्र देकर मौजा भण्डरालोड खाता नं०-2 प्लॉट नं०-2 रकबा कमश- 0.35डी०, 0.36डी०, 0.35डी०, 0.34डी०, 0.35डी०, 0.34डी० जमीन ऑनलाईन पंजी।। में नाम/खाता/प्लॉट/रकबा/रसीद सुधार करने का अनुरोध किया गया है। आवेदनकर्ता से मूल कागजात की मांग करें साथ ही राजस्व कर्मचारी को प्राप्त आवेदन पत्र पर अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक 24.9.2020 को रखें।

अंचल अधिकारी,
देवरी।

24/09/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया। आवेदनकर्ता पत्र उपस्थित है। विधिवतस्था मीटिंग में रहने के कारण अधोदस्तासरी न्यायालय में अनुपस्थित। अभिलेख दिनांक 08/10/2020 को रखें।

उ० उ०

8/10/2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया। आवेदनकर्ता उपस्थित है। विधिवतस्था मीटिंग में रहने के कारण अभिलेख दिनांक 29/10/2020 को रखें।

उ० उ०


24.10.2020

अभिलेख उपस्थापित किया गया। आवेदन उपस्थित। कार्यवाही सहायक अद्वैतहनी पची का मिलान कर प्रतिवेदन देने अभिलेख 12.11.2020 को रखें।

29.10.2020

12.11.2020

अभिलेख उपस्थापित । आवेदन गण उपस्थित । कार्यवाहक सहायक द्वारा मौखिक रूप से बताया गया कि संबंधित बन्दौवली पंजी कार्यालय में नहीं मिल पाया है। अतः कार्यवाहक सहायक को मिलान करने हेतु 26.11.2020 तक का समय दिया जाता है।
अभिलेख 26.11.2020 को रखें।


12.11.2020

26/11/2020

अभिलेख उपस्थापित । उषच पत्र अनुपस्थित।
अभिलेख दिनांक 10/12/2020 को रखें।


310 310


24/12/2020

अभिलेख उपस्थापित । उषच पत्र अनुपस्थित।
अभिलेख दिनांक 24/12/2020 को रखें।


310 310


24.12.20

अभिलेख उपस्थापित । उषच पत्र उपस्थित । कार्यवाहक सहायक द्वारा मौखिक बताया गया कि संबंधित बन्दौवली पंजी कार्यालय में नहीं मिल पा रहा है। अतः बन्दौवली पंजी से मिलान कर अभिलेख 21.1.2021 को रखें।


24.12.20

21.1.21

अभिलेख उपस्थापित । बन्दौवली पंजी से मिलान कर प्रतिवेदन संपन्न । बन्दौवली पंजी खोजने हेतु अभिलेख दिनांक 4.03.21 को रखें।


21.1.21

7.3.21

अभिलेख उपस्थापित किया गया। पक्ष एवं विपक्ष दोनों न्यायालय में अनुपस्थित हैं। अभिलेख में एवम् अभिलेख दिनांक 6/05/21 को रखा।

310.310
03/03/2021

06/05/21

अभिलेख उपस्थापित किया गया। पक्ष एवं विपक्ष दोनों न्यायालय में अनुपस्थित हैं। अभिलेख दिनांक 19/08/021 को रखा।

310 310

19/05/021

अभिलेख उपस्थापित किया गया। पक्ष एवं विपक्ष दोनों न्यायालय में अनुपस्थित हैं। अभिलेख दिनांक 20/08/021 को रखा।

310 310

20/05/021

अभिलेख उपस्थापित किया गया। पक्ष एवं विपक्ष दोनों न्यायालय में अनुपस्थित हैं। अभिलेख दिनांक 21/10/021 को रखा।

310 310

21/10/021

अभिलेख उपस्थापित किया गया। पक्ष एवं विपक्ष दोनों न्यायालय में अनुपस्थित हैं। अभिलेख दिनांक 13/11/021 को रखा।

310 310

13/11/02	अभिलेख उपस्थापित किया गया। पक्ष एवं विपक्ष दोनों न्यायालय में अनुपस्थित हैं। अभिलेख दिनांक 30/11/02 का रखें।	310 310
30/12/02	अभिलेख उपस्थापित किया गया। पक्ष एवं विपक्ष दोनों न्यायालय में अनुपस्थित हैं। अभिलेख दिनांक 29/01/022 का रखें।	310 310
29/01/022	अभिलेख उपस्थापित किया गया। पक्ष एवं विपक्ष दोनों न्यायालय में अनुपस्थित हैं। अभिलेख दिनांक 18/02/022 का रखें।	310 310
18/02/022	अभिलेख उपस्थापित किया गया। वादी अनुपस्थित हैं। अभिलेख दिनांक 25/02/022 का रखें।	310 310
25/02/022	अभिलेख उपस्थापित। वादी उपस्थित। पीठासीन पदाधिकारी उच्च न्यायालय स्तरी में होने के कारण। अभिलेख दिनांक 08/03/022 का रखें।	310 310

4/3/2022

अभिलेख उपस्थापित | वादीगण उपस्थित | अभिलेख
दिनांक 25/2/2022 को रखा।

4/3/2022

25/03/2022

अभिलेख उपस्थापित | वादी उपस्थित | पीठासीन
पदाधिकारी गिरिडीह मीटिंग में होने के कारण
अभिलेख दिनांक 01/04/2022 को रखा।

310 310

01/4/2022

अभिलेख उपस्थापित | वादी की ओर से एलपी
- दायित्व | वादीगण को मादेश दिए गए हैं
कि अपने होने के संबंध में प्रमाण प्रस्तुत करें
अभिलेख दिनांक 08/4/2022 को रखा।

01/4/2022

01/4/2022

अभिलेख उपस्थापित | वादी की ओर से एलपी
दायित्व | वादीगण द्वारा प्रमाण प्रस्तुत
किया गया | मादेश मादेश रखा।

01/4/2022

अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। उभय
पक्षों द्वारा समर्पित कागजातों, हल्का राजस्व
उपनिरीक्षक का जांच प्रतिवेदन एवं प्रभारी क्षेपण
निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन, अंचल भ्रमण का
नापी प्रतिवेदन का अवलोकन किया। हल्का
राजस्व उपनिरीक्षक ने अपने जांच प्रतिवेदन में
प्रतिवेदन किया कि प्रथम पक्ष लक्ष्मी तुरी
सरनु तुरी एवं अक्षय के नाम ग्राम भण्डारांड के खाता
नं-2 प्लॉट नं-2 रकबा 35 बी० अनाम रामदेव तुरी
पिता मणु तुरी, खाता नं-2 प्लॉट नं-2 रकबा 36 बी०
अनाम मणु तुरी पिता पूरन तुरी खाता नं-2 प्लॉट
रकबा 37 बी० खाता नं-2 प्लॉट नं-2 रकबा 38 बी०
पिता परन तुरी, खाता नं-2 प्लॉट नं-2 रकबा 39

सरजूपुरी पिता पुरी तुरी के नाम सरकारी
 कन्दोबस्ती प्रवाना वाद संख्या 28/8889
 28/8889 एवं 28/8889 को प्राप्त है लेकिन
 प्रथम पक्षों के द्वारा ग्राम भुजरायों के द्वारा
 न०-2 प्लॉट न०-3 संव 4 पर नीव खोद रहे थे
 जिससे इस वाद के विपक्ष पक्ष गण के सहदेव साव
 कौरहे ने रोक दिया है जो विवाद का मुख्य
 कारण है प्रभारी अंचल निरीक्षक ने अपने
 प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया है कि विवादात्त
 भूमी ग्राम भुजरायों के प्लॉट न०-3 संव 4 के
 विपक्षी गण सहदेव साव कौरहे के द्वारा प्रती
 के नाम कजरिये हुकुमनामा द्वारा भूतपूर्व
 जमानदार से प्राप्त है जिसकी सरकारी रसीद
 जमानदार निहित तिथि है निगमि है कालांतर
 में प्लॉट 3 संव 4 के कुछ आंशिक भाग
 द्वितीय पक्ष के पिता पुरी सावु पिता पुरी
 साव कजरिये निवेदित दस्तावेज संख्या
 4879 दिनांक 01.05.1956 द्वारा प्राप्त है
 जिसकी भी रसीद निगमि है प्रतिवेदित भूमि
 प्लॉट न०-3 संव 4 पर सहदेव साव कौरहे एवं
 सुरजी महतो के पत्नी महतो के दस्तावेज
 है जिसकी पुछी अंचल अमान के नाम
 प्रतिवेदन से होगा है प्रथम गण लालू लाल
 एवं अन्नू का साग न०-2 प्लॉट न०-2 कन्दोबस्ती
 प्रवाना से प्राप्त है जिसमें प्लॉट न०-3 खुदा
 करने का अनुरोध किया है उमम एवं पूर्ण
 के काजजा में राजस्व उपनिरीक्षक प्रभारी
 अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन अंचल अमान
 के मापी प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रथम पक्ष गण
 को प्लॉट न०-3 में कन्दोबस्ती नहीं दी गई है
 प्रथम पक्ष के अनुरोध प्लॉट न०-2 के सुधारकर
 प्लॉट न०-3 को किया गया है जो तकसंग
 गयी है सुधार हेतु प्राप्त आवेदन स्व गलत है
 के दस्तावेजों से वाद का विषय है

28/8889
 अंचल निरीक्षक
 धर